सं0–7/स्थानीय–15–01/2012 47(7)a

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
पटना।

पटना, दिनांक : 03 -10 -12

विषय : गैर योजना मांग संख्या 20 शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0005–अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष–विपत्र कोड–N2210012000005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में 27–02 अनुरक्षण एवं मरम्मत इकाई में कुल ₹12,43,770/– (बारह लाख तैतालीस हजार सात सौ सत्तर रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषायांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश सं0–8(7)ब दिनांक–19.4.12 एवं विभागीय राज्यादेश सं0–998(10) दिनांक–21.9.12 के क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–2013 में 27–02 अनुरक्षण एवं मरम्मत इकाई में कुल ₹12,43,770/– (बारह लाख तैतालीस हजार सात सौ सत्तर रूपये) मात्र का आवंटन दी जाती हैं (विवरणी संलग्न) ।

2. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08, वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0 (2) दिनांक 18.4.11 एवं अद्यतन निर्गत परिपत्र के आलोक में की जायेगी ।

3. गैर योजना मांग संख्या 20 शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी– 200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0005–अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष–विपत्र कोड– N2210012000005 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय व्ययक आयोजना मिन्न में उपबंधित राशि से निकासी की जायेगी।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

5. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना इस राशि को विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा गाँधी मैंदान पटना द्वारा भुगतेय होगा । राशि निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

7. विभागीय राज्यादेश संख्या–998 (10) दिनांक–21.09.12 में यथा उल्लेखित बातों एवं शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

8. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

28/9/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

E:\2012 2013 file\Budget 2012 13\Dist g\Local Hospital Comp.doc

ज्ञापांक : 4716 /पटना, दिनांक : 03 -10 -12

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन/ उर्जा विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना/ संबंधित अस्पताल के निदेशक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/10 एवं कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित

28/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–।

क्रमांक	इकाई	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	27–02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	12,43,770/– (बारह लाख तैतालीस हजार सात सौ सत्तर रूपये)	12,43,770/– (बारह लाख तैतालीस हजार सात सौ सत्तर रूपये)

28/9/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–।।

व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0005–अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय उपशीर्ष–विपत्र कोड–N2210012000005 के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं मरम्मत इकाई में वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आवंटन ।

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	55947400	44757920	0	44757920	11189480
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	37484600	29987680	0	29987680	7496920
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	11189400	8951520	0	8951520	2237880
4	परिवहन भत्ता (01–05)	1276800	1021440	0	1021440	255360
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	465600	372480	0	372480	93120
6	अन्य भत्ता (01–07)	1018200	814560	0	814560	203640
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**107382000**	**85905600**	**0**	**85905600**	**21476400**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	0	0	1000000
8	यात्रा व्यय (11–01)	200000	100000	0	100000	100000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	165000	82500	0	82500	82500
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव	400000	200000	0	200000	200000
11	दूरभाष (13–03)	100000	50000	0	50000	50000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	2500000	1250000	0	1250000	1250000
13	विधि प्रभार (13–05)	110000	55000	0	55000	55000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	100000	50000	0	50000	50000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	600000	300000	0	300000	300000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	2880000	1440000	0	1440000	1440000
17	दवा भंडार (21–02)	27000000	13500000	0	13500000	13500000
18	आहार / पथ्य (21–03)	1000	0	0	0	1000
19	लघु कार्य (27–01)	1000	0	0	0	1000
20	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	20000000	0	1243770	1243770	18756230
21	व्यवसायीक एवं विशेष सेवाएँ	6000000	3000000	0	3000000	3000000
22	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	6840000	3420000	0	3420000	3420000
	कुल योग:–	**175279000**	**109353100**	**1243770**	**110596870**	**64682130**
					कुल (बारह लाख तैतालीस हजार सात सौ सत्तर रूपये) मात्र	

28/9/12

सरकार के संयुक्त सचिव

47(7)9

03-10-12